उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण

(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः- 715 /3-2 बजट (CA)/24-25 दिनांक 11 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, भू0 सं0 वन प्रभाग, लैंसडौन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-01 क्षतिपूरक वनीकरण" (CA) मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

संदर्भः- वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक- E-Office 1/134518/2024 नि0-772/3-5 दिनांक 05 दिसम्बर, 2024।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदर्भित पत्र से वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-01 क्षतिपूरक वनीकरण" (CA) के मानक मद-42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत ₹ 444.59 लाख की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड* www.ukcampa.org.in *पर fund released section में भी अपलोड है।*

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग क्षतिपूरक वनीकरण (CA) के अंतर्गत **अग्रिम मृदा कार्य गतिविधि हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्नक-1** के अनुसार कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:-

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक-NA-15/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्रांक-NA-15/2020-NA दिनांक 24.05.2024 पत्रांक-NA-15/2020-NA दिनांक 01.07.2024, *(कैम्पा वेबसाईड में अपलोड)* व शासकीय पत्रांक-1573/X-2-2024-12(07)2021(74356) दिनांक 11.10.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।

2. **अन्य नियम व शर्तें:-**

   I. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।

   II. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली- 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

> उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए-
>
> *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली- 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे;*
>
> *और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।*
>
> *परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा ओर वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।*

   III. सभी स्थलीय कार्यो (Field Activities) की ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।

IV. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।

V. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो।

VI. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

VII. कार्यों के संपादन हेतु समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

IX. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

X. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।

XI. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न करायें जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

XII. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

XIII. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio-Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।

XIV. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।

XV. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।

XVI. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के विन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।

XVII. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

भवदीय,

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 715 /3-2 बजट (CA)/ 24-25 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उनके पत्रांक 866/3–17 दिनांक 14.11.24 एवं पत्रांक 865/3–17 दिनांक 865 दिनांक 14.11.2024 के क्रम में।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।

प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

क्षतिपूरक वनीकरण योजना अन्तर्गत विभिन्न प्रभागों को अग्रिम मृदा कार्य हेतु वर्तमान में आवंटन –

(धनराशि लाख में)

प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण में अग्रिम मृदा कार्य						
	वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित / स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (प्रभागों की वास्तविक स्थिति व उनकी मांग अनुसार)				पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटन	योग
	भौतिक (हे0 में)	सी0ए0 योजना से	Incremential Cost (अर्जित ब्याज से देय)	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
ALMORA DIVISION	30.54	35.08	0.00	35.08	35.08	0.00	35.08
ALMORA CS DIVISION	9.15	10.51	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51
PITHORAGARH DIVISION	106.91	122.83	0.00	122.83	122.83	0.00	122.83
CHAMPAWAT DIVISION	26.92	30.93	0.00	30.93	30.93	0.00	30.93
BAGESHWAR DIVISION	51.87	59.55	0.00	59.55	59.55	0.00	59.55
CIRCLE	225.39	258.90	0.00	258.90	258.90	0.00	258.90
TARAI EAST DIVISION	107.70	90.52	0.00	90.52	90.52	0.00	90.52
TARAI CENTRAL DIVISION	3.60	4.74	0.00	4.74	4.74	0.00	4.74
HALDWANI DIVISION	40.00	57.13	0.00	57.13	57.13	0.00	57.13
Total in WESTERN CIRCLE	151.30	152.39	0.00	152.39	152.39	0.00	152.39
Total KUMAUN ZONE	376.69	411.29	0.00	411.29	411.29	0.00	411.29
BADRINATH DIVISION	22.99	32.72	0.00	32.72	32.72	0.00	32.72
RUDRAPRAYAG DIVISION	33.16	47.18	0.00	47.18	47.18	0.00	47.18
Total in GARHWAL CIRCLE	56.15	79.90	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90
LANSDOWNE SC DIVISION	1.20	2.13	0.00	2.13	1.34	0.79	2.13
LANSDOWNE DIVISION	11.82	18.68	2.35	21.03	16.14	2.54	18.68
Total in SHIVALIK CIRCLE	13.02	20.81	2.35	23.16	17.48	3.33	20.81
CHAKRATA DIVISION	12.48	12.62	8.89	21.51	12.62	0.00	12.62
MUSSOORIE DIVISION	256.00	441.26	0.00	441.26	0.00	441.26	441.26
TONS DIVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total in YAMUNA CIRCLE	268.48	453.88	8.89	462.77	12.62	441.26	453.88
Total GARHWAL ZONE	337.65	554.59	11.24	565.83	110.00	444.59	554.59
Grand Total	714.34	965.88	11.24	977.12	521.29	444.59	965.88

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA

संख्या नि0–772/3–5 (कैम्पा –क्षतिपूरक वनीकरण)

प्रेषक

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः दिसम्बर, 2024.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–01 –क्षतिपूरक वनीकरण" हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– 1–शासनादेश संख्या 750/X-2-2024-12(07)2021 (E-72660) दिनांक 27 जून, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24060270010 दिनांक 28.06.2024 आवंटित बजट ₹18,63,00,000–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2–शासनादेश संख्या 1767/X-2-2024-12(07)2021 (E-72660) दिनांक 26 सितम्बर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24090270007 दिनांक 26.09.2024 आवंटित बजट ₹3,40,08,000–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
3–शासनादेश संख्या 1573/X-2-2024-12(07)2021 (E-74356) दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24100270003 दिनांक 11.10.2024 आवंटित बजट ₹31,49,00,000–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–01 – **क्षतिपूरक वनीकरण**" हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि **₹ 53,52,08,000/– (₹ तिरेपन करोड़ बावन लाख आठ हजार मात्र)** के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि **₹46,38,03,000/– (₹ छियालिस करोड़ अड़तीस लाख तीन हजार मात्र)** के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा **वर्तमान में** जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि **₹ 4,44,59,000/–(₹ चार करोड़ चौवालीस लाख उनसठ हजार मात्र)** को **IFMS पोर्टल** के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को **ऑन लाईन** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता हैः–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. **वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या– NA-15/1/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्र संख्या– NA-15/1/2020-NA दिनांक 24.05.2024 एवं पत्र संख्या– NA-15/1/2020-NA दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा।**
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. मासिक व्यय विवरण/बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4/मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Hemendera Prakash Gangwar
Date: 05-12-2024 20:48:17
(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 772/3–5 (कैम्पा– कैम्पा –क्षतिपूरक वनीकरण) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल तथा वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त एवं यमुना वृत्त को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना/नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7. समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस/ मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

ई–मेल से प्राप्त
दिनांक...04/11/2024

संख्या– 1573 /X–2–2024–12(07)2021 (E-74356)

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 11 अक्टूबर, 2024

विषयः–वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग की अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत ए0पी0ओ0 के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू0 209.4575 करोड़ अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र संख्या–NA-15/1/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्र संख्या–NA-15/1/2020-NA दिनांक 24.05.2024 एवं पत्र संख्या–NA-15/1/2020-NA दिनांक 01.07.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत की गयी वार्षिक कार्ययोजना के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–नि0 235/3–5 (कैम्पा–सी.ए.) दिनांक 20.08.2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत स्वीकृत आय–व्ययक/ए0पी0ओ0 के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त कुल अवशेष धनराशि रू0 209.4575 करोड़ (रू0 दो अरब नौ करोड़ पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार अवमुक्त कर व्यय हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक/मानक मद	राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा स्वीकृत ए0पी0ओ0	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
अनुदान संख्या–27			
2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी			

e No. FOR2-12/1/29/2024-X-2-Forest Department (Computer No. 74356)
[illegible]

04–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103–राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा				
03–01– क्षतिपूरक वनीकरण योजना 42–अन्य विभागीय व्यय		5012.00	2203.08	3149.00
03–02– जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान 42–अन्य विभागीय व्यय		2957.00	2451.37	972.00
03–03– समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना 42–अन्य विभागीय व्यय		1000.00	5.47	994.53
03–04– वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य 42–अन्य विभागीय व्यय		20758.00	6699.81	13300.19
03–05– कैम्पा से अर्जित ब्याज	05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	573.00	250	250.00
	56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	1048.00	—	1048.00
03–06– अन्य कार्य 42–अन्य विभागीय व्यय		2189.00	567.97	1232.03
योगः–		**33537.00**	**12197.48**	**20945.75**

(रू0 दो अरब नौ करोड़ पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि संबंधित डिवीजन को 02 सप्ताह के अन्दर आवंटित कर दी जाय। 02 सप्ताह के अन्दर धनराशि आवंटन न करने पर संबंधित के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

2. धनराशि के व्यय हेतु The Compensatory Afforestation Fund Rule's 2018, कैम्पा के नियमों/अधिनियम तथा भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 19.04.2024 एवं 24.05.2024 में दिये गये प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–245/XXVII(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 के अनुसार सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। बिना प्रशासनिक/वित्तीय/ तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

e No. FOR2-12/1/29/2024-X-2-Forest Department (Computer No. 74356)